Vol 5 Issue 5 Nov 2015 ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063

Impact Factor : 3.4052(UIF)
Volume - 5 | Issue - 5 | Nov - 2015

महिलाओ के विरूद्व हिंसा की प्रकृति एवं विस्तार

बीरेन्द्र कुमार तिवारी
सहायक प्राध्यापक विधि – राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल.

बीरेन्द्र कुमार तिवारी

परिचय :

भारत को एक पुरूष प्रधान देश की संज्ञा दी जाती है । शायद यही कारण है कि भारतीय समामज में महिलायें दीर्घकाल से अवमानना, उत्पीड़न, यातना एवं शोषण का शिकार रही है। यद्यपि भारतीय संविधान में महिलाओ की प्रास्थिति में सुधार के लिए अनेकानेक प्रावधान किए गये है किन्तु प्रगति अधिक उत्साहवर्धक नही हैं आज भी महिलायें घरेलू एवं आपराधिक हिंसा का शिकार है। भ्रूण हत्या, बलात्कार, व्यपहरण, अपहरण तथा दहेज हत्या आदि स्वरूपो में हिंसा दृष्टिगत होती है।

Keyword :- आपराधिक हिंसा – बलात्कार, अपहरण व हत्या, घरेंलु हिंसा – पत्नी को पीटना, लैगिंग दुर्व्यवहार, समाजिक हिंसा – पत्नी, पुत्रवधु या कन्या की हत्या

भूमिका :

मानव जाति की लगभग आधी जनसंख्या महिला है, फिर भी महिला के जीवन के गुणवत्ता संदिग्ध है प्रकृति ने पुरूष व महिला में प्राकृतिक लैंगिक विभेद केवल प्रजनन के विशेष प्रयोजन से किया है पर फिर भी दोनो ही मानव जाति के अभिन्न अंग है। पुरूष व महिला का यह विभेद जीवन के किसी भी स्वरूप में हो, उनके कार्य एक से है। चाहे वह वनस्पति जगत में हो या जन्तु जीवन में। बीज या संतान को जन्म देने के कार्यो की भिन्नता के अलावा उनके अनेक सभी कार्य तथा आवश्यकताएं एक सी है। नारी पशु को भी भूख लगती है तथा वह भी भूख से उतनी ही व्याकुल होती है, जितना नर पशु/चोट लगने पर उसे उतनी ही पीड़ा महसूस होती है, जितनी नर पशु को। इसी प्रकार नारी पुरूष अथवा पुरूष में नारी अंग भी उतना ही खाद, पानी व प्रकाश मांगते है जितना नर पुरूष अथवा पुरूष के अन्य अंग। इसी प्रकार पुरूष महिला का विभेद मानव जाति में भी केवल संतान की उत्पत्ति व उसके पालन पोषण की प्राकृतिक भूमिका में है न उसकी सामाजिक भूमिका मे। जहां तक पुरूष व महिला का प्राकृतिक भूमिका का प्रश्न है, वह संसार के किसी भी जगह हो एक समान है। वह केवल उसके प्रजनन कार्य है। इसके अतिरिक्त जितने भी कार्य विभाजन है वे सभी सामाजित प्रकृति के है।

भारतीय समाज में पारम्परिक रूप से महिला को किसी न किसी के संरक्षण में ही रहना अनिवार्य माना गया है चाहे वह पिता हो, भाई हो या पति हो। जहां पुरूष से उसकी पहचान के रूप में पिता का नाम पूछा जाता है। वही महिला पत्नी को अपना पत्नीत्व उद्घोषित करने पर बाधा वर सकता है। जबकि पत्नी को पति की संरक्षिका बनने का अधिकार प्राप्त नही है चाहे वह हर मापदंड में पति से अधिक शक्तिशाली या साक्षम क्यों न हो। पत्नी की पहचान तो पति से होती है, पर पति की पहचान भी पत्नी से हो सकती है, यह समाज की कल्पना से परे है।

महिलाओं का यौन शोषण भी महिला उत्पीड़न एवं हिंसा का एक स्वरूप है। भारत में प्रचलित देवदासी प्रथा, मुता विवाह यौन शोषण के विभिन्न स्वरूप है। हमारे देश में बालिकाओ के बेमेल व बलात् विवाह आज भी प्रचलित हैं यद्यपि विवाह अधिनियम द्वारा विवाह की न्यूनतम वयस्क होने के स्वरूप को विधि द्वारा निर्धारित कर दिया गया है परन्तु विभिन्न व विषम सामाजिक परिस्थितियों के चलते उनका सामाजिक रूप से कियान्वयन बहुत सीमित है। अधिकतर धार्मिक विधि शास्त्रो मे भी नारी हिंसा को मान्यता प्रदान की गई है।

महिलाओं के विरूद्व हिंसा का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है –

(अ) आपराधिक हिंसा जैसे बलात्कार, अपहरण व हत्या।

(ब)घरेलू हिंसा जो आपराधिक भी है जैसे दहेज सम्बन्धी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार आदि।
(स)सामाजिक हिंसा जेसे पत्नी, पुत्रवधू या कन्या की भ्रण हत्या (Female Feticide) हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड–छाड़ सम्पत्ति में । महिलाओं को हिंसा देने से इंकार करना, अत्प वयस्क विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, पुत्र वधू को और दहेज लाने के लिए तंग करना इत्यांदि

महिलाओं के विरूद्व अपराध एक विकट या गभीर समस्या है। महिलाओ के विरूद्व आपराधिक हिंसा के मामले गृह मंत्रालय, पुलिस अन्वेषण ब्यूरो और सामाजिक प्रतिरक्षा का राष्ट्रीय संस्थान द्वारा एकत्रित अभिलेखो मे प्राप्त किए जा सकते है। भारत सरकार के आंकड़ो के अनुसार पिछले 05 वर्षो में महिलाओं के विरूद्व अपराधो में 40 प्रतिशत वृद्वि मिलती है। सबसे अधिक अपराध यातना (उत्पीड़न) के और इसके बाद छेड–छाड़, अपहरण, बलात्कार, शरीर व्यापार, दहेज मृत्यु, यौन सम्बन्धी उत्पीड़न, दहेज कानून, लडकियों का आयातन, महिलाओ का अश्लील प्रदर्शन मिलते है। दहेज से सम्बन्धित हत्यायो में विशेषकर 45 प्रतिशत की वृद्वि मिलती है। महिलाओ के विरूद्व अपराधो में से आधे से अधिक अपराध केवल पॉच राज्यो में, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश और राजस्थान राज्य में मिलते है तथा शेष अपराध अन्य राज्यो ओर केन्द्र शासित राज्यो में मिलते है। परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि सभी मामलो की विभिन्न कारणो से शिकायते नही होती है और उन्हे पंजीबद्व नही किया जाता है। घरेलू हिंसा के प्रकरणो में जैसे पत्नी को पीटना और परिवार की महिलाओं के साथ किया गया पारिवारिक व्यभिचार की कभी शिकायत नही की जाती। महिलाओं के विरूद्व हिंसा की विभिन्न श्रेणीयो का उल्लेख निम्नानुसार किया जा रहा है।

घरेलू हिंसा

भारत में घरेलू हिंसा की घटनाएं सामान्य है। घरेलू हिंसा का व्यापक अर्थ है। इसमें घर की दीवारो के भीतर की जाने वाली सभी प्रकार की हिंसा शामिल है। प्राचीन विधि में मनु तथा याज्ञवल्कय आदि में महिलाओं की रक्षा का भार घर के अन्य सदस्याओ अर्थात् पिता, पति, पुत्र को सौपा गया था परन्तु आज घरेलु हिंसा इतनी अधिक बढ गई है कि महिला के लिए घर सुरक्षित नही रहा गया हे घरेलू हिसा अधिनियम 2005 द्वारा घरेलु हिंसा को व्यवहारिक (Civil) अपकृत माना गया है। इस अधिनियम के द्वारा महिला को अपने विवाह के घर में रहना सुनिश्चित किया गया है तथा मजिस्ट्रेट महिला के संरक्षक के लिए आदेश पारित कर सकता है। घरेलु हिंसा पुरूष की दयनीय असहनशील मानसिकता की परिचायक है।[1]

*सतीप्रथा (*SATI)

स्त्रियों के प्रति गंभीर हिंसा की एक कोर्ट ''सती'' प्रथा है। सती प्रथा का प्रचलन भारतीय समाज की सभ्यता पर एक बदनुमा दाग हैं। इसके अन्तर्गत मृत पति की चिता के साथ उसकी जीवित विधवा को जला दिया जाता था। यह प्रथा प्राचीन काल से पितृातत्मक नियंत्रण एवं शास्त्र सम्मत होने के कारण प्राचीन काल से पितृात्मव नियंत्रण एवं शास्त्र सम्भत होने के कारण लम्बे समय तक चलती रही। मध्ययुग में मोहम्मद बिन तुगलक तथा हुमायूं जैसे शासको ने इस प्रथा को अमानवीय मानकर इस पर रोक लगाने का असफल प्रयत्न किया। बिट्रिश नीति तथा तत्कालीन समाज सुधारक राजाराम मोहन राय आदि ने सती प्रथा के घोर विरोथी थे। रूपकुंवर, केसरिया तथा कुट्टू सती के ज्वलंत उदाहरण है। सती विराधी अधिनियम को उन तमाम कानूनो के स्थान पर जो विभिन्न क्षेत्रो में प्रचलित थे, केन्द्रीय कानून के रूप में रखा गया है। अंत में सती प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1829 द्वारा इसको एक अपराध घोषित किया गया। 1987 तथा 1988 द्वारा सती संबंधी विधि को और अधिक प्रभावकारी बनाया गया है अब सती की प्रशांसा करने वालो को भी यह अधिनियम अपराध की श्रेणी में लाता है। भारतीय समाज में आज भी सती के छिटपुट प्रयास तथा गौरवान्वन के मामले दिख जाते है।[2]

*कन्या भ्रण हत्या (*Female Foeticide*)*

भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या के पीछे पुत्रवाद, लैगिक असमानता, दहेज प्रथा आदि कारण निहित है। कन्याओं पर पारिवारिक सम्मान की भी भारी जिम्मेदारी होती है। जब वे इसका वहन पारिवारिक अपेक्षाओ के अनुसार नही कर पाती तो परिणाम, सम्मान, वध (Hounour Killing) के रूप में देखने को मिलता है इन सब समस्याओं से निजात पाने का उपाय बहुतायत में कन्या भ्रूण हत्या के रूप में सामने आया है। भ्रूण का लिंग परीक्षण कराने के उपरांत गर्भपात द्वारा कन्या भ्रूण से छूटकारा पाया जाता है। भ्रूण का लिंग परीक्षण भारत में एक अपराध घोषित किया गया है। राज्य एवं विधि इस प्रकार की हिंसा पर लगाम लगाने में पूर्णतया असफल रहे है।[3]

*बलात्कार (*rape*)*

बलात्कार की समस्या सभी देशो में सामान्यता गम्भीर मानी जाती है।, केन्द्रीय सरकार द्वारा ''महिलाओं के विरूद्व अपराध'' पर प्रस्तुत की गयी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक 10 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। आयु के हिसाब से बलात्कार में शिकार की प्रतिशतता 16 से 30 वर्ष में आयु समूह में सर्वाधिक है। गरीब लड़कियाँ ही अकेली बलात्कार का शिकार नही होती, अपितु मध्यम वर्ग की कर्मचारियों के साथ भी मालिको द्वारा लैगिंक अपमान किया जाता है। जेल में कैदी महिलाओं के साथ अधीक्षको द्वारा बलात्कार किया जाता है। अपराध संदिग्ध महिलाओं के साथ पुलिस अधिकारियो द्वारा, महिला मरीजो के साथ अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा, और दिहाड़ी मजदूरी (रोजाना वेतनभोगी) महिलाओं के साथ ठेकेदारो और बिचौलियो द्वारा, यहां तक कि बहरी और गूंगी, पागल और अंधी और भिखारियो को भी नही छोड़ा जाता। निम्न माध्यम श्रेणी से आई हुई महिलाओं जो कि अपने परिवारो का प्रमुख रूप से भरण पोषण करती है लैंगिंक दुर्व्यवहार को खामोशी से और बिना विराधे किये सहन करती रहती है। यदि वे विरोध करती है तो उन्हे सामाजिक कलंक और अपमान का सामना करना पड़ता है, इसके अतिरिक्त उन्हे पाप की पीड़ा और व्यक्तित्व के रोग भयंकर रूप से सताते है।

बलात्कार सदैव पूर्णतया अपरिचित व्यक्तियो में नही होते, प्रत्येक दस में से नौ बलात्कार परिस्थितियों से संबंधित होते है, लगभग तीन–पंचम द्वारा बलात्कार एकल बलात्कार होते है। एक पंचम बलात्कार होते है और एक पंचम सामूहिक बलात्कार होते है। प्रत्येक 10 बलात्कारो में नौ में किसी प्रकार शारीरिक हिंसा या क्रूरता को वश में करने के लिए प्रलोभन एवं/या मौखिक दवाब भी काम में लिये जाते है। तीन–चौथाई से कुछ कम बलात्कार उत्पीड़ितो या उत्पीड़ित करने वालो के घरो में होते है और लगभग एक चौथाई गैर रिहाइसी भवनो में होते है।[4]

*व्यपहरण और अपहरण करना (*Kidnapping and Abduction*)*

एक नाबालिक (18 वर्ष से कम लड़की और 16 वर्ष से कम आयु का लड़का) को या विकृतचित को उसमें कानूनी संरक्षक की सहमति के बिना ले जाने या फुसलाने को ''व्यपहरण'' कहते है। व्यवहरण 2 प्रकार का होता है। (1) भारत में से व्यपहरण–उसमें कोई व्यक्ति का उपरोक्त तथ्वो के साथ भारत की सीमाओं से परे प्रवहरण कर देता है। (2) विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण– इसमें कोई अप्राप्त व्यय (Minor) या विकृत चित्त को, विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से, संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है। अपहरण में कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थाने से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्ही प्रवंचना पूर्ण उपायो द्वारा उत्प्रेरित करता है।

महिलाओं के सन्दर्भ में अपहरण का अर्थ है एक महिला को इस उद्देश्य से जबरजस्ती, कपटपूर्वक या धोखोबाजी से ले जाना कि उसे बहका कर उसके साथ अवैध मैथुन किया जाए या उसकी इच्छा के खिलाफ उसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने को बाध्य किया जाये। व्यपहरण में उत्पीड़क की सहमति महत्वहीन होती है, परन्तु अपहरण में उत्पीड़न की स्वैच्छिक सहमति अपराध को माफ करना देती है। अपहरण/व्यवहरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित है।

अविवाहित लड़कियो के शिकार बनने की संभवना विवाहित स्त्रीयो की अपेक्षा अधिक होती है। अपराधी व उनके शिकार अधिकांश प्रकरणो में एक दूसरे से परिचित होते है। अपराधी तथा उसके शिकार का प्रायः प्रारम्भिक सम्पर्क सार्वजनिक स्थानो के बजाए उनके घरो अथवा पड़ोसो में होता है। अधिकांशतया अपराध में एक ही व्यक्ति लिप्त होता है। इस प्रकार अपराधी की ओर से धमकी या उत्पीड़क की ओर से विरोध अधिक आम नही है। व्यपहरण तथा अपहरण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मैथुन और विवाह होते है। माता–पिता का नियंत्रण और परिवार में स्नेहपूर्ण सम्बन्धो का अभाव निर्णायक कारण होते है।[5]

*हत्या (*Murder*) –*

मानव हत्या विशेष रूप से नर अपराध है। यद्यपि लिंग के आधार पर हत्याओं और उनके शिकारो / पीड़ितो से सम्बन्धित अखिल भारतीय आंकड़े सही रूप से उपलब्ध नही है, फिर भी यह सर्वविदित है कि मानव हत्या के मादा (Famale) शिकार नर (Male) शिकारो की तुलना में कम है।

अधिकांश प्रकरणो में हत्यारे और उनके शिकार एक ही परिवार के होते है। लगभग चार–पंचम प्रकरणो में हत्यारे 25–40 वर्षो के आयु समूह के होते है। लगभग आधी शिकार और ऐसी होती है जिनके पुरूष हत्यारे से पुराने सम्बन्ध होते है। हत्यारे अधिकांशतया निम्न प्रस्थिति, (Status) व्यवसाय और निम्न आय समूह से होते है। अधिकतर हत्याये अनियोजित होती है और क्रोध या उत्तेजित भाषावेश में होती है। नियोजित हत्याओं में (महिलाओ की हत्याओं में) प्रायः सहापराधी परिवार के सदस्य होते है। महिलाओं की हत्या के प्रमुख कारण झगड़े, अवैध सम्बन्ध आदि होते है।[6]

*दहेज हत्या (*Dowery Deaths*)*

यह सही है कि दहेज निषेधाज्ञा कानून, 1961 ने दहेज प्रथा पर रोक लगा दी है परन्तु वास्तव में कानून किसी समस्या का पूर्ण हल नही है। गत वर्षो में दहेज की मॉग और उसके साथ–साथ दहेज को लेकर हत्याएं बढ़ी है। यदि एक संतुलित अनुमान लगाया जाए तो भारत में दहेज न देने अथवा पूर्ण नही देने के कारण प्रतिवर्ष हत्याओ की संख्या में वृद्वि ही हुई है, अधिकांश दहेज–हत्याएं पति के घर के एकान्त में और परिवार के सदस्यो की मिलीभगत से होती है। इसलिए अदालते प्रमाण के अभाव में दंडित न कर पाने को स्वीकार करती है। कभी–कभी पुलिस छानबीन करने में इतनी कठोर हो जाती है कि न्यायालय भी पुलिस अधिकारियो की कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा पर संदेह प्रकट करते है।

दहेज हत्याओ के सम्बन्ध में सामान्यतया माध्यम वर्ग की स्त्रियों के उत्पीड़न की दर निम्न वर्ग या उच्च वर्ग के स्त्रियो से अधिक होती है। लगभग 70 प्रतिशत पीड़ित 21–24 वर्ष आयु समूह की होती है। वास्तविकत हत्या से पहले युवा वधू को कई प्रकार से सताया/अपमानित किया जाता है, जो कि पीड़ित परिवार के सदस्यो के सामाजिक व्यवहवार के अव्यवस्थित संरूप का दर्शाता है। दहेज हत्या के कारणो में सबसे महत्वपूर्ण समाज वैज्ञानिक कारण अपराधी पर वातावरण का दवाब या सामाजिक तनाव है जो उसके परिवार के आन्तरिक और वाह्य कारणो से उत्पन्न होते है। अन्य महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण हत्यारे का सत्तावादी व्यक्तित्व, प्रबल प्रकृति और उसके व्यक्तित्व का असमायोजन है। महिला को शिक्षा के स्तर पर दहेज के लिए की गई उसकी हत्या में कोई परास्परिक सम्बन्धी नही होता।[7]

*पत्नी को पीटना (*Wife Beating*)*

महिलाओं के विरूद्व हिंसा विवाह के सन्दर्भ में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जबकि पति, जिसके लिए यह समझा जाता है कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करेगा और उसे सुरक्षा प्रदान करेगा, उसे पीटता है। एक स्त्री के लिए उस आदमी द्वारा पीटा जाना जिस पर वह सर्वाधिक विश्वास करती है, एक छिन्न–भिन्न करने वाला अनुभव होता है। हिंसा, चॉटे और लात मारने से लेकर हड्डी तोड़ना, यातना देना,

मार डालने की कोशिश और हत्या तक हो सकती है, हिंसा कभी–कभी नशे के कारण भी हो सकती है, परंतु हमेशा नही। भारतीय संस्कृति में हम विरले ही पत्नी द्वारा पुलिस से पीटने के मामले की शिकायत करने की बात सुनते है। स्त्री मौन रहकर अपमान सहती है और उसे अपना भाग्य मानती है। यदि वह विरोध करना भी चाहती है तो नही कर सकती, क्योंकि उसे भय रहता है कि उसमें अपने माता–पिता की विवाह के बाद उसे अपने घर में स्थायी रूप से रखने को मना कर देंगे।

पत्नियाँ जो 25 वर्ष की आयु से कम होती है उनके उत्पीड़न का अनुपात अधिक होता है, इन पत्नीयों को, जो अपने पति से पॉच वर्ष से अधिक छोटी होती है, अपने पति द्वारा पीटे जाने का खतरा अधिक रहता है। कम आय वाले परिवारो की महिलाओ का अधिक उत्पीड़न होता है यद्यपि परिवार की आय से उत्पीड़न को जोड़ना अधिक अठिन है। पत्नी को पीटने के महत्वपूर्ण कारण है, यौन सम्बन्धी असमायोजन, भावात्मक गड़बड़ पति का गर्वित अहम् या हीन भावना। पति का पियक्कड़ होना, ईर्ष्या और पत्नी की निष्क्रिय कायरता। यद्यपि अनपढ़ पत्नियो को शिक्षित पत्नीयों की अपेक्षा पति द्वारा पीटे जाने की संभावना अधिक होती है, फिर भी पीटने और पीड़ितो के शैक्षिक स्तर में कोई महत्वपूर्ण सम्बन्ध नही है।[8]

*हिंसा के पीड़ित (*Victims of Violence*)*

यदि हम महिलाओ के खिलाफ हिंसा के अधिकतर् प्रकरणो को एक साथ ले तो हम यह देखते है कि हिंसा के पीड़ित निम्न महिलायें होती है।

1.जो असहाय और अवसादग्रस्त (depressed) होती है जिनकी आत्मछवि खराब होती है। जो (आत्मावमूल्यन) से ग्रसित होती है या वे जो अपराधकर्ता द्वारा की गई हिंसा के फलस्वरूप भावात्मक रूप से समाप्त हो चुकी है, या वे जो परार्थवादी विवशता (Altrustic Power lessness) से ग्रस्त है।

2.जो दबावपूर्ण पारिवारिक स्थितियों में रहती है या ऐसे परिवारो में रहती है जिन्हे समाजशास्त्रीय शब्दावली में ''सामान्य'' परिवार नही कहा जा सकता। सामान्य परिवार वे है जो संरचनात्मक रूप से पूर्ण होते है, (दोनो माता–पिता जीवित है और साथ–साथ रह रहे है) आर्थिक रूप से निश्चित रहते है (सदस्यो की मूल और पूरक आवश्यकताओं की पूर्ति करते है), प्रकार्यत्मक रूप से उपयुक्त (Adequate) है। (वे विरले ही लड़ते है) और नैतिक रूप से नैष्ठिक (Conformist) है।

3.जिनमें सामाजिक परिपक्ता की या सामाजिक अन्तर–वैयक्तिक प्रवीणताओं की कमी है, जिसके कारण उन्हे व्यवहार संबंधी समस्यों का सामना करना पड़ता है।

4.जिनके पति/ससुराल वालो का विकृत (Pathological) व्यक्तित्व है।

5.जिनके पति बहुध मदिरापान करते है।

उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर महिलाओं के निम्न सात प्रकार के उत्पीड़न हो सकते है जो निम्न है –

1.जो अवसादग्रस्त (depressed) होते है, जिनमें हीन भावना होती है और आत्मसम्मान कम होता है,

2.जिनमें व्यकित्व के दोष होते है और जो मनोरोगी (Psychopths) होते है,

3.जिनके पास संसाधनो, प्रवीणताओ (Skill) और प्रतिभाओ (Talents) का अभाव होता है और जिनका व्यक्तित्व समाज वैज्ञानिक रूप से विकृत (Sociopathic) होता है।

4.जिनकी प्रकृति मालिकानापन (Possessive), शक्कीपन और प्रबलता (Dominance) है।

5.जो पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते है,

6.जो बचपन में हिंसा के शिकार हुऐ थे, और

7.जो बहुधा मदिरा पान करते है।

सारांश

महिलाओ के विरूद्व प्रमुखतः अपराधिक, घरेलु और सामाजिक हिंसा का प्रचार प्रसार है। घरेंलू मारपीट, सती, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, व्यपहरण, अपहरण तथा घरेलू दहेज हत्या आदि रूपो में हिंसा एवं उत्पीड़न दृष्टिगत होती है, प्रकार की हिंसा की उत्पीड़ित वे महिलाये होती है जो असहाय और अवसादग्रस्त, दबावपूर्ण परिस्थितियों में रहने वाली, सामाजिक रूप से अपरिपक्व होती है, उनके उत्पीड़न कर्ता भी अवसादग्रस्त, मनोरोगी, शक्की, दबंग हिंसा के भुक्तभोगी, नशे के आदी होते है। हिंसा के कारणो में पीड़ित द्वारा भड़काना, नशा, महिलाओ के प्रति विद्वेष परिस्थितियों से प्रेरणा, हिंसा प्रवृत्त व्यक्तित्व आदि होते है।

भारतीय संविधान में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रावधान किये गये है परन्तु यदाकदा आज भी महिलाये उत्पीड़न की षिकार हो रही है। दिल्ली डेमोक्रेटिक वर्किग वूमेन्स फोरम बनाम भारत संघ[9] में महिलाओं के साथ यौन करते हुऐ ऐसे मामलो को शीघ्र परीक्षण तथा उन्हे प्रतिकर प्रदान करने एवं उनके पूनर्वास के लिए विस्तृत मार्गदर्षक सिद्वान्त विहित किया है।

समय–समय पर विभिन्न राष्ट्रीय कानूनो, अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयो द्वारा महिलाओ के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएं, समितियों एवं महिला अयोग का गठन किया जा चुका है। इन सब के बावजूद भी महिला हिंसा एवं उत्पीड़न की शिकार हो रही है। समाज में सभी वर्गो, सामाजिक कार्यकर्ताओ, स्वयंसेवी संगठनो, बुद्धिजीवियों एवं महिला आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वे महिलाओ पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ जन जागृति पैदा कर महिलाओ को सुरक्षा हेतु विधि सम्मत वातावरण तैयार करे।

संदर्भ सूची :–

(1)घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005
(2)सती निवारण अधिनियम 1987
(3)गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन रोकथाम) अधिनियम 1994
(4)बलात्कार धारा 375 आई.पी.सी.
(5)अपहरण व्यपहरण धारा 366
(6)हत्या 302 आई.पी.सी.
(7)दहेज हत्या धारा 304बी आई.पी.सी.
(8)धारा 498ए आई.पी.सी.
(9)दिल्ली डेमोक्रेटिक वर्किक वुमेन्स फोरम बनाम भारत संघ (1995) 1 एस.सी.सी. 14

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org